# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 138/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/272

निर्णय दिनांक:

जोराराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. अमराराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ 3. पेमाराम 4. श्रवणराम 5. पार्वती 6. हीरा पुत्रगण/पुत्रियां स्व. आदूराम जाति जाट निवासीगण लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 7. नानू पत्नी स्व. मोतीराम 8. भागीरथ पुत्र स्व. मोतीराम 9. श्रीभगवान पुत्र स्व. मोतीराम 10. राधा पुत्री स्व. मोतीराम 11. मलू पुत्री स्व. मोतीराम 12. दीपाराम पुत्र स्व. मोहनी 13. भंवरलाल पुत्र स्व. मोहनी 14. रामलाल पुत्र स्व. मोहनी 15. सुशीला पुत्री स्व. मोहनी जाति जाट निवासीगण लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

**उपस्थितिः—**

1. श्री ओमनाथ सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 15 के विरूद्ध के एकतरफा कार्यवाही

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू—राजस्व अधिनियम**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा की दुरुस्ती हेतु निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 व प्रार्थी के भाई आदूराम (अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के पिता/दादा/नाना स्व. आदूराम) की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 516/259 तादादी 40 बीघा 05 बिस्वा वाकेरोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व स्व. आदूराम ने उक्त खसरा भूमि का दिनांक 09.12.2004 को गांव में लगे समस्या शिविर के दौरान आपसी सहमति से विभाजन करवा लिया जिस पर उक्त खसरा भूमि की दक्षिणी तरफ की 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के हिस्से पांति में रखी गई तथा इसी खसरा की उतरी तरफ की 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी 2 अमराराम के हिस्से पांति में रखी गई तथा शेष पूर्वी तरफ की 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के पिता/दादा/नाना स्व. आदूराम के हिस्से में रखी गई। प्रार्थी के भाई आदूराम की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 स्व. आदूराम के पुत्र/पुत्रियां है तथा आदूराम के एक पुत्र मोतीराम की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 7 से 11 है तथा आदूराम की एक पुत्री मोहनी की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके कानूनी जायज वारिसानों में अप्रार्थी संख्या 12 से 15 हुए है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 अमराराम व अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के पिता/दादा/नाना स्व. आदूराम के मध्य हुए आपसी सहमति के विभाजन के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया व विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खसरा नम्बर 516/259 व अन्य खेत खसरा नम्बर 108, 518/263, 557/424 का एकसाथ इन्तकाल संख्या 785 दिनांक 09.12.2004 को दर्ज कर दिया गया। समस्या शिविर कैम्प लखासर में हुए आपसी विभाजन का सही रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया व सही रूप से नामान्तरण दर्ज हुआ और सही रूप से राजस्व अक्स बनाया गया था। कालान्तर में खसरा नम्बर 516/259 नये खसरा कायम कर दिए गये जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से पांति में आई भूमि के नये खसरा नम्बर 672/328

तादादी 2.8400 हैक्टेयर कायम हुए व अप्रार्थी संख्या 2 अमराराम के हिस्से पांति में आई भूमि के नये खसरा नम्बर 671/328 तादादी 2.8500 हैक्टेयर कायम हुए तथा प्रार्थी के भाई स्व. आदूराम हिस्से पांति में आई भूमि के नये खसरा नम्बर 673/328 तादादी 4.4900 हैक्टेयर कायम हुए है जिसकी वर्तमान में संयुक्त रूप से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के नाम चल रही है। प्रार्थी को ऑन लाईन राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स के गलत होने की जानकारी हुई प्रार्थी ने पुराने राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स की नकले दिनांक 04.07.2025 को निकलवाई तो राजस्व अक्स में गलत तरमीम होने की जानकारी हुई। समस्या शिविर कैम्प लखासर में हुए आपसी विभाजन का सही रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया व सही रूप से राजस्व अक्स बनाया गया जो इस प्रकार से है–

## सही तरमीम का नक्शा

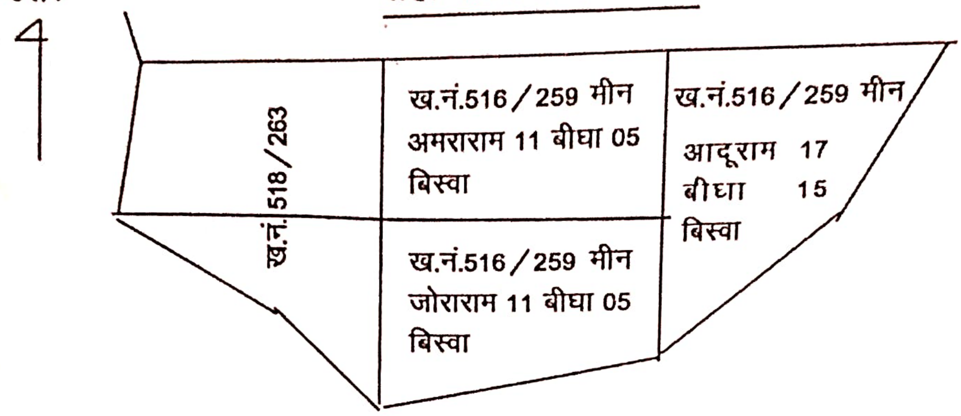


## गलत तरमीम का वर्तमान नक्शा

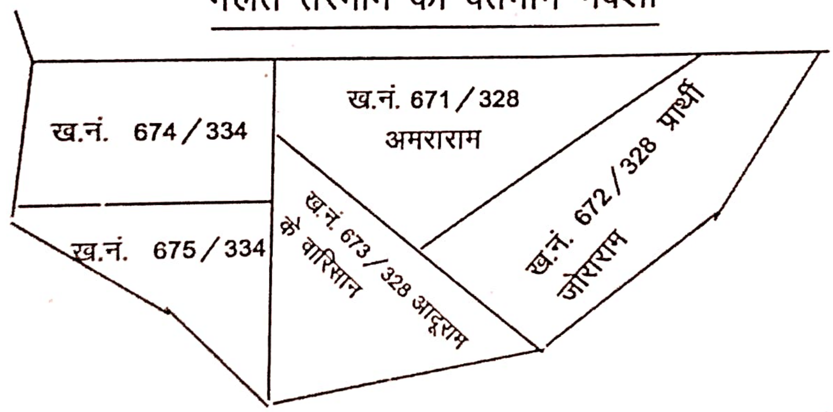


चूंकि मौका पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 15 सही रूप से दर्शित किए गये नक्शा के हिसाब से काबिज है तथा अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 3 से 15 के नाम दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 673/328 को बिलकुल ही गलत रूप से दक्षिणी तरफ दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ता 15 का उक्त खेत पूर्वी तरफ दर्ज होना चाहिए था व दक्षिणी तरफ प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 672/328 तादादी 2.8400 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था व उतरी तरफ तिकोणीय रूप से अप्रार्थी सं. 2 का खेत खसरा नम्बर 671/328 दर्शित किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का खेत आयताकार के रूप में है। प्रार्थी ने उपरोक्त सही नक्शा के हिसाब से राजस्व अक्स दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी सं. 2 ता 15 से काफी निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 टाल–मटोल प्रत्युतर देते रहे व राजस्व अक्स को सही नहीं करवा रहे है, फिर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

11.07.2025 को कहा कि राजस्व रिकार्ड में एकबार तरमीम हो जाने के बाद हम इसे दुरूस्त नहीं कर सकते। आपको अदालत से आदेश लाना होगा। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 ता 15 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 671/328, 672/328, 673/328 के नक्शा को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.12.2004 व मौका स्थिति के अनुसार सही नहीं दर्शाने से ना तो प्रार्थी के खेत की स्थिति सही रूप से प्रकट हो रही है व ना अप्रार्थी संख्या 2 ता 15 के खेत की स्थिति सही रूप से प्रकट हो रही है व गलत तरमीम के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का राजस्व नक्शा सही रूप से दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह राजस्व अक्स दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र अदालतवाला के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार एवं हर तरह से अन्दर मियाद तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित पुराने खसरा नम्बर 516/259 के सही राजस्व नक्शा के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 672/328 तादादी 2.8400 हैक्टेयर को दक्षिणी तरफ तथा अप्रार्थी संख्या 1 अमराराम के खेत खसरा नम्बर 671/328 तादादी 2.8500 हैक्टेयर को उतरी तरफ तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 15 के खेत खसरा नम्बर 673/328 तादादी 4.4900 हैक्टेयर को पूर्वी तरफ तरमीम किए जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जाकर उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। उपरोक्त खसरान भूमि के वर्तमान राजस्व अक्स को विलोपित करते हुए नये सिरे से सही नक्शा के हिसाब से तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 15 के विरूद्ध रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल उपरान्त हाजिर नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

खेत खसरा नम्बर 672/328 तादादी 2.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/328 तादादी 2.8500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673/328 तादादी 4.4900 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व एक्स को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन दिनांक 09.12.2004 के नजरी नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन दिनांक 09.12.2004 का नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ